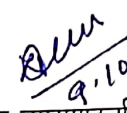


भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-19/2017-18

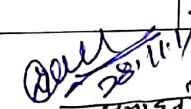
आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
09.10.2017	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख दिनांक 05.05.2017 को उपस्थापित है। अभिलेख उपस्थापन की अगली तिथि 25.05.2017 निर्धारित थी। अभिलेख पुनर्जीवित करने हेतु सुनवाई की अगली तिथि 2.9.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 2.9.18 को उपस्थापित करें।  9.10.17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
28.10.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 866, दिनांक 24.10.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 25.10.2017 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक हेटो होनहागा, सोंगा होनहागा, पिता स्व० पासिंग होनहागा, ग्राम-रामचन्द्रपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-रामचन्द्रपुर, थाना नं०-74, खाता नं०-36, प्लॉट नं०-71, रकवा 0.18½ ए०, क्रेता सुचांद माझी, पिता-सोहन माझी, ग्राम-रामचन्द्रपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक हेटो होनहागा, सोंगा होनहागा, पिता स्व० पासिंग होनहागा, ग्राम-रामचन्द्रपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अंचल एवं थाना-चक्रधरपुर के निवासी हैं। विक्रेता जाति "हो" एवं क्रेता जाति "संथाल" क्रेता एवं विक्रेता दोनों (अ.ज.जा.) समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा-2.50 ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता सुचांद माझी, पिता-सोहन माझी, ग्राम-रामचन्द्रपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम को निर्धारित सर्किल दर पर उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।  28.10.17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	

लेखापित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराई


 28.10.17
 भूमि सुधार उपसमाहर्ता
 पोड़ाहाट, चक्रधरपुर